भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.03.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2281 का उत्तर

उत्तराखंड में आरओबी का निर्माण

2281. श्री तीरथ सिंह रावतः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तराखंड में रेल-समपारों पर सड़क उपरिपुलों (आरओबी) के निर्माण-कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आरओबी का निर्माण-कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का उत्तराखंड में उन विभिन्न स्थानों पर आरओबी निर्मित करने का विचार है जहां-जहां राज्यीय राजमार्ग रेलपथ को पार करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): पिंक बुक के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में पिछले 3 वर्षों सहित कुल 6 अदद ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 1 ऊपरी सड़क पुल का कार्य पूरा हो गया है और शेष पुलों का निर्माण कार्य योजना, अनुमान और निष्पादन के विभिन्न चरणों में है।

आम तौर पर, ऊपरी सड़क पुलों में रेलवे के हिस्से के कार्य का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाता है जबकि पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। साधारणत: ऊपरी सड़क पुलों में रेलवे के हिस्से के निर्माण में कोई समस्या नहीं होती है। बहरहाल, ऊपरी सड़क पुलों में पहुंच मार्गों का निर्माण करना कठिन है क्योंकि यह अनेक कारकों पर निर्भर

करता है जैसे भूमि की उपलब्धता, अतिक्रमण हटाना, पहुंच मार्गों का संरेखण निर्धारित करना, अपेक्षित निधि का आबंटन आदि। इसलिए ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

बहरहाल, ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि एकल उद्यमी पर आधारित राज्य सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण करके राज्य में सभी समपारों को समाप्त किया जा सके।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अलावा, निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

- अनंतिम सामान्य व्यवस्था आरेख को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार सहित सभी संबंधित के साथ संयुक्त सर्वेक्षण करना।
- विलंब से बचने के लिए विभिन्न स्पैन के लिए ड्राइंग का मानकीकरण करना।
- रेलवे की ओर से जीएडी के सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए प्रत्येक राज्य के लिए नोडल अधिकारी का नामांकन करना।
- राज्य/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों से संबंधित विभिन्न नक्शों और ड्राइंग को आनलाइन प्रस्तुत करने और अनुमोदन के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल विशेषताओं वाली वेब आधारित एप्लीकेशन शुरू करना।

(घ) और (ड.): उन स्थानों, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग रेल लाइनों को क्रॉस करते हैं, के लिए ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए रेलवे के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। नीति के अनुसार 1 लाख से अधिक यातायात घनत्व वाले समपारों के स्थान पर राज्य सरकार के साथ लागत में हिस्सेदारी वहन करने के आधार पर ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण किया जा सकता है बशर्ते इसके लिए राज्य सरकार से ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की लागत वहन करने की सहमति और ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के बाद समपार को बंद करने की सहमति प्राप्त हो।

******